

an>

Title: Election of one Member from Lok Sabha to the Committee on Estimates.

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री अजय भट्ट, जो मंत्री के रूप में नियुक्त हो गए हैं, के स्थान पर प्राक्कलन समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री अजय भट्ट, जो मंत्री के रूप में नियुक्त हो गए हैं, के स्थान पर प्राक्कलन समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)